

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011)

क्रमांक 440/242/स्था.सेवा/2016

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रति


श्री संतोष सोलंकी,
पिता श्री साधुराम सोलंकी,
25/क भोज नगर कालोनी,
वार्ड नं. 12, शंकर मंदिर के सामने,
सरदारपुर, जिला धार, म.प्र.
पिन- 454111

विषय - मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 में उप पंजीयक के पद हेतु प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन बाबत।

—0—

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षा 2011-12 के परिणाम अनुसार पंजीयन विभाग में उप पंजीयक के पद हेतु प्रतीक्षा सूची में आपका चयन हुआ है। इस अनुक्रम में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 04 सितम्बर 2017 को प्रातः 11.00 बजे महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय भोपाल, पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 में निम्नलिखित जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें :-

1. आपके द्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत अर्हता संबंधी समस्त मूल दस्तावेजों (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, मूल निवास, जाति आदि अर्हता संबंधी) एवं उनकी एक सेट सत्यापित छायाप्रति।
2. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3 भोपाल दिनांक 24.11.2012 के संदर्भ में पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में नोटराईज्ड शपथ पत्र।
3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क्रमांक 21537/2015 में लिए निर्णय अनुसार पत्र के साथ संलग्न अभिवचन पत्र।


उप महानिरीक्षक पंजीयन
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

52

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
इंदौर

अभिवचन पत्र

मैं.....पिता/पति.....

पता:-.....

रोलनंबर.....आज दिनांक.....

को आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2012/01.10.2012, राज्य सेवा परीक्षा-2012 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ/हुई हूँ। उच्च न्यायालय, जबलपुर याचिका क्रमांक 21537/2015 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2016 के अनुसरण में एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह अभिवचन देता/देती हूँ कि:-

राज्य सेवा परीक्षा-2012 से सम्बन्ध में किसी कदाचरण संबंधी मामलों में भविष्य में मेरी भूमिका या सम्बद्धता पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त मानी जावे। इस संबंध में मेरे द्वारा भविष्य में किसी भी न्यायालय में कोई भी दिवानी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही/वाद संस्थित नहीं किया जावेगा, एवं आयोग व शासन द्वारा लिया गया निर्णय मुझ पर बंधनकारक रहेगा एवं मान्य रहेगा। उक्त अभिवचन मैं स्वैच्छा से बिना भय एवं दबाव के प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर

पूरा नाम:-.....